संख्या:–1806/XXVIII–1/20–01(06)/2020

प्रेषक,

अमित सिंह नेगी,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

चिकित्सा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा अनुभाग–1 देहरादूनः दिनांक 26 नवम्बर, 2020

विषयः आर0टी0पी0सी0आर0 टेस्ट की सेवाओं की दरों के पुनर्निधारण के सम्बंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या–15प/भण्डार/3/2020/19686 दिनांक 20.11.2020 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासनादेश संख्या–1586/XXVIII–1/20–01(19)/2020, दिनांक 08.10.2020 जिसके द्वारा निजी क्षेत्र की प्रयोगशालाओं में कोरोना वायरस के संक्रमण की जॉच हेतु ₹1400/–,₹1500/– एवं ₹1680/– दरें निर्धारित की गई है; को अतिक्रमित करते हुए, तात्कालिक प्रभाव से निजी क्षेत्रों की प्रयोगशालाओं में कोरोना वायरस के संक्रमण की आर0टी0–पी0सी0आर0 जांच हेतु अधिकतम दर निम्नवत् निर्धारित की जाती हैः–

निजी क्षेत्र की प्रयोगशालाओं द्वारा कोरोना वायरस के संक्रमण की एकल चरण जांच (Single Step) हेतु अधिकतम धनराशि	
सरकारी या निजी चिकित्सालय द्वारा निजी प्रयोगशालाओं को प्रेषित सैम्पल की दर *	₹850/–(आठ सौ पचास रूपये मात्र) जी0एस0टी0 सहित
निजी प्रयोगशालाओं द्वारा स्वयं एकत्र किये गये सैम्पल की दर ** (Pickup, packing transportation of samples, documentation and reporting)	₹900/– (नौ सौ रूपये मात्र) जी0एस0टी0 सहित।

* प्रयोगशाला तक सैम्पल पहुचाने की जिम्मेदारी सैम्पल लेने वाले चिकित्सालयों की होगी।

** निजी प्रयोगशालओं द्वारा स्वंय एकत्र किये जाने वाले सैम्पल के लिए निर्धारित अधिकतम दर का भुगतान सम्बंधित व्यक्ति जिसका टेस्ट किया जाना हो, द्वारा ही वहन किया जायेगा।

2– निजी प्रयोगशालाओं को सभी रिपोर्ट सी0टी0 वैल्यू के अंकन के साथ उपलब्ध करानी होगी। गुणवत्ता आडिट हेतु मांगे जाने पर नमूनों को चिकित्सा महाविद्यालय की रेफरल प्रयोगशालाओं हेतु उपलब्ध कराना होगा। परीक्षण के पश्चात् आई0सी0एम0आर0 के पोर्टल पर रिपोर्ट दर्ज करने के अतिरिक्त संबंधित जिले के मुख्य चिकित्साधिकारी एवं स्टेट सर्विलान्स अधिकारी को रिपोर्ट की एक प्रति उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा।

3– निजी प्रयोगशालाओं द्वारा उक्त जांच हेतु उक्त निर्धारित दरों से अधिक धनराशि लिया जाना एवं अन्य उल्लिखित प्राविधानों का पालन न करना महामारी अधिनियम 1897 (यथा संशोधित) एवं उत्तराखण्ड राज्य महामारी कोविड–19 विनियमावली 2020 के संगत

Scanned by CamScanner

प्राविधानों का उल्लंघन माना जाएगा। उक्त के अतिरिक्त निजी प्रयोगशालाओं द्वारा कोविड–19 के संदर्भ में भारत सरकार/राज्य सरकार/आई0सी0एम0आर0 द्वारा समय–समय पर निर्गत दिशा–निर्देशों/आदेशों का पूर्णतः अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

भवदीय,

(अमित सिंह नेगी)
सचिव।

संख्याः (1)/XXVIII–1/20–01(06)2020, तददिनांक।

प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव उत्तराखण्ड शासन।
2. निजी सचिव,मा0 मुख्यमंत्री उत्तराखण्ड।
3. निजी सचिव,मुख्य सचिव,उत्तराखण्ड शासन।
4. आयुक्त, कुमाऊ/गढ़वाल मण्डल, नैनीताल/पौडी।
5. समस्त जिलाधिकारी उत्तराखण्ड।
6. निदेशक,चिकित्सा शिक्षा, उत्तराखण्ड,देहरादून।
7. समस्त मुख्य चिकित्साधिकारी/मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, उत्तराखण्ड।
8. इण्डियन मेडिकल एसोसिएशन, उत्तराखण्ड।
9. निदेशक, एन0आई0सी0 सचिवालय परिसर, देहरादून।
10. मीडिया सेन्टर, सचिवालय परिसर, देहरादून।
11. विभागीय आदेश पुस्तिका।

आज्ञा से,

(मुकेश कुमार राय)
उपसचिव।

Scanned by CamScanner

उत्तराखण्ड शासन
चिकित्सा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा अनुभाग–1
संख्याः– 1782/XXVIII–1/20–01(06)/2020 टी0सी01
देहरादूनः दिनांक 25 नवम्बर, 2020

कार्यालय–ज्ञाप

उत्तराखण्ड राज्य में कोविड–19 के संक्रमण के प्रभावी रोकथाम एवं टेस्ट की संख्या बढाये जाने के उद्देश्य से महामारी अधिनियम 1897 एवं उत्तराखण्ड महामारी कोविड–19 विनियमावली 2020 के सुसंगत प्राविधानों के अन्तर्गत शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्याः–1535 /XXVIII–1/20–01(06)/2020 टी0सी02 दिनांक 29 सितम्बर,2020 द्वारा 'रैपिड एंटीजन टैस्टिंग' हेतु निर्धारित अधिकतम दर रू0 719.00(सात सौ उन्नीस रूपये मात्र) को अतिकमित करते हुए शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त महानिदेशक चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण,उत्तराखण्ड,देहरादून के पत्र संख्या–15प/भण्डार/38/2020/19289 दिनांक 11.11.2020 के कम में NABH/NABL accredited निजी प्रयोगशालाओं में कोरोना वायरस के संक्रमण की **'रैपिड एंटीजन टैस्टिंग' हेतु अधिकतम दर रू0 679.00(छः सौ उन्नासी रूपये मात्र)** निर्धारित की जाती है।

2– निजी प्रयोगशालाओं को सभी परीक्षण के पश्चात् आई0सी0एम0आर0 के पोर्टल पर रिपोर्ट दर्ज करने के अतिरिक्त संबंधित जिले के मुख्य चिकित्साधिकारी एवं स्टेट सर्विलान्स अधिकारी को रिपोर्ट की एक प्रति उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा।

3– उक्त का उल्लंघन महामारी अधिनियम 1897 एवं उत्तराखण्ड राज्य महामारी कोविड–19 विनियमावली 2020 के संगत प्राविधानों का उल्लंघन माना जाएगा। उक्त के अतिरिक्त निजी प्रयोगशालाओं द्वारा कोविड–19 के संदर्भ में भारत सरकार/राज्य सरकार/आई0सी0एम0आर0 द्वारा समय–समय पर निर्गत दिशा–निर्देशों/आदेशों का पूर्णतः अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(अमित सिंह नेगी)
सचिव।

संख्याः 1782/XXVIII–1/20–01(6)2020 टी0सी02 तददिनांक।

प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. निजी सचिव,मा0 मुख्यमंत्री उत्तराखण्ड।
2. निजी सचिव,मुख्य सचिव,उत्तराखण्ड शासन।
3. समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव उत्तराखण्ड शासन।
4. आयुक्त, कुमाऊ/गढ़वाल मण्डल, नैनीताल/पौडी।
5. समस्त जिलाधिकारी उत्तराखण्ड।
6. महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखण्ड, देहरादून।
7. निदेशक,चिकित्सा शिक्षा,उत्तराखण्ड,देहरादून।
8. मिशन निदेशक,एनएचम,उत्तराखण्ड,देहरादून।
9. मीडिया सेन्टर, सचिवालय परिसर, देहरादून।
10. विभागीय आदेश पुस्तिका।

आज्ञा से,
(मुकेश कुमार राय)
उपसचिव।